समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

18-06-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–678/2008 में आवेदक **श्री रविन्द्र कुमार सिंह**, पिता–श्री हरिचरण सिंह, सा0–पोठही, पो0–बसुहर, थाना–पुनपुन, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–18.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे खेती करते हैं। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–778/गो0, दिनांक–20.07.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में अग्रसारित कर भेजा गया। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पुनपुन के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अंकनीय है कि आवेदक के ऊपर खतरा की कोई आशंका प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान समय में आवेदक को अनुज्ञप्ति मिलने लोक शांति एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ ही शस्त्र की अनुज्ञप्ति मिलने से खतरा की आशंका प्रतीत होती है, जिस कारण आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन की अनुशंसा नही की गयी है। थानाध्यक्ष, पुनपुन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक खेती करते हैं। आवेदक के जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के ऊपर तत्काल खतरा की कोई आशंका प्रतीत नहीं होती है। साथ हीं अंकनीय है कि वर्तमान समय में आवेदक को अनुज्ञप्ति मिलने लोक शांति एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ हीं शस्त्र की अनुज्ञप्ति मिलने से खतरा की आशंका प्रतीत होती है। तदोपरान्त रायफल की अनुज्ञप्ति दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। साथ हीं थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

234

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री रविन्द्र कुमार सिंह, पिता–श्री हरिचरण सिंह, सा0–पोठही, पो0–बसुहर, थाना–पुनपुन, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।